परिपत्र संख्या- /वर्ष 2010-11

पत्र संख्या-एस0एस0-कर निर्धारण वाद / रिटर्न्स समीक्षा / 2010-11/ 1143/1011076 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक: 31 : दिसम्बर,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0)/(कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

यह संज्ञान में आया है कि कर निर्धारण अधिकारियों के पास अभी भी वैट अधिनियम से सम्बन्धित वर्ष 2007-08 के दि0 01-01-2008 से 31-03-08 तक की अवधि के करनिर्धारण वाद काफी संख्या में लम्बित हैं, जबकि इनके निस्तारण के लिए दि0 31-03-2011 तक का ही समय उपलब्ध है। यह भी ज्ञात हुआ है कि करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा वैट अधिनियम की धारा-27(1) के अन्तर्गत करनिर्धारित मान लिये जाने वाले (Deemed to have been assessed) वादों का चिन्हीकरण भी नहीं किया गया है। अत: उपरोक्त वादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं -

(1) धारा-27(1) के अन्तर्गत करनिर्धारित मान लिये जाने वाले वादों अर्थात उन वादों जिनमें व्यापारी द्वारा नियत तिथि तक वार्षिक रिटर्न दाखिल कर दिये गये हैं तथा जो अन्यथा धारा-28(1)(a) अथवा धारा-28(1)(b) में निर्धारित श्रेणी में नहीं आते हैं उनको चिन्हित कर लिया जाय एवं ऐसे वादों को छोड़कर शेष वादों की सूची बना ली जाय। यह समस्त कार्य दि0 15-01-2011 तक पूरा कर लिया जाय।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2007-08 की उपरोक्त वैट अवधि से सम्बन्धित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि शासन के पत्रांक-क0नि0-1799/ग्यारह-2-09-9(295)107 दि0 24-12-2010 द्वारा 31-08-2009 तक बढाई जा चुकी है। अत: इस तिथि के पूर्व जो भी वार्षिक रिटर्न प्राप्त हो गये हैं वह सभी रिटर्न समय सीमा के अन्दर माने जायेंगे।

(2) धारा-28(1)(b) के क्लाज-(iv) के अन्तर्गत नियमित करनिर्धारण हेतु वादों का चिन्हीकरण वार्षिक रिटर्नो की जॉच के आधार पर किया जाना है तथा इस श्रेणी के मामलों में वही वाद आयेंगे जिनमें-

(क) अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह विश्वास करने का आधार है कि व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर तथा देयकर विश्वासनीय नहीं है, अथवा

(ख) वार्षिक रिटर्न में स्वीकृत कर व्यापारी द्वारा जमा नहीं किया गया है, अथवा

(ग) वार्षिक रिटर्न में क्लेम की गयी आई0टी0सी0 सही नहीं है, अथवा

(घ) वार्षिक रिटर्न में स्वीकार किया गया कर सही नहीं है।

ऐसें मामलों में व्यापारी को Deemed assessment की श्रेणी से अलग करते हुए नियमित करनिर्धारण की श्रेणी में डालने के पूर्व उसे नोटिस जारी करते हुए उक्त कमियों को दूर करने अथवा, जैसी भी स्थिति हो, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायगा तथा कमियॉ दूर न किये जाने अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने पर ही वाद को नियमित कर निर्धारण के वादों की श्रेणी में सम्मिलित किया जायगा।

(3) नियमित करनिर्धारण योग्य वादों की उपरोक्त बनायी गयी सूची दि0 15-01-2011 तक सम्भाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्राप्त करा दी जाय जो इनकी जांच करके यह देखेंगे कि किसी अधिकारी के पास इतनी अधिक संख्या में वाद तो अवशेष नहीं हैं कि उनका निस्तारण सामान्य रुप से दि0 31-3-2011 तक किया जाना सम्भव न हो। यदि किसी अधिकारी के पास वादों की संख्या अधिक है तो ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) उसे अपने सम्भाग के दूसरे अधिकारियों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करेंगे तथा आवश्यक होने पर दूसरे सम्भाग के करनिर्धारण अधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए सूची जोनल एडीशनल कमिश्नर को भेजेंगे।

(4) करनिर्धारण अधिकारी नियमित करनिर्धारण हेतु चिन्हित उक्त वादों में समयबद्ध रुप से करनिर्धारण की कार्यवाही करेंगे जिससे दि0 25-03-2011 तक समस्त वादों में करनिर्धारण की कार्यवाही पूर्ण हो जाय।

(5) वर्ष 2007-08 के उपरोक्त समस्त वादों का निस्तारण आर-5(बी) रजिस्टर पर दर्ज कराकर जोनल एडीशनल कमिश्नर दि0 05-04-2011 तक समस्त करनिर्धारण अधिकारियों के आर-5(बी) रजिस्टर हस्ताक्षरित कर देंगे एवं दिनांक 07-04-2011 तक इसकी सूचना मुख्यालय प्रेषित करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों से समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

30/12

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव।

प्रतिलिपि : उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन को दि0 23-12-10 की बृहस्पतिवार की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर व अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
5. समस्त खण्डाधिकारी द्वारा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

30/12/10

(होशियार सिंह)
ज्वाइंट कमिश्नर (संख्या) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।